रजिस्ट्री सं. डी (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 1987/वैसाख 22, 1909
No. 101] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 1987/VAISAKHA 22, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मई, 1987

संकल्प

विषय : विकेन्द्रीकरण विद्युत करघा क्षेत्र में आधुनिकीकरण तथा कार्यशील पूंजी दोनों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें करने के लिए कृतिक बल का गठन।

सं. 1 (6)/87—सी. पी. :—वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि विकेंद्रीकरण विद्युतकरघों में उत्पादन—संगठन उत्पादकता बढ़ाने कार्यकुशलता में वृद्धि करने और कामगारों के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्यों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इस क्षेत्र का समुन्नत विकास करने के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में ऋण-प्रवाह आवश्यक है। जबकि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत करघों को ऋण के संवितरण के लिए अनेक योजनाएं हैं, विभिन्न अभिकरणों की भूमिका का मूल्यांकन करना आवश्यक समझा जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत करघों की कार्यशील पूंजी और साथ ही आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन दोनों के लिए अधिक ऋण उपलब्ध हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों के एक कृतिक बल का गठन करने का विनिश्चय किया है :—

1. श्री अरुण कुमार, वस्त्र आयुक्त, बम्बई। — अध्यक्ष
2. श्री के. एल. कपूर, महा प्रबंधक आई० डी० बी० आई०, बम्बई। — सदस्य
3. श्री आर. सुन्दरवर्धन, मुख्य महाप्रबंधक, नबार्ड, बम्बई। — सदस्य
4. सचिव (सहकारिता), महाराष्ट्र सरकार, बम्बई — सदस्य

5. श्री वी.एस.आर.कोलागी, उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार, गांधी नगर। — सदस्य

6. प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु राज्य वित्तीय निगम, मद्रास। — सदस्य

7. श्री धनपाल तारे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्युतकरघा परिसंघ, इचलकरंजी। — सदस्य

8. श्री ए. आई. एस. राव, संयुक्त वस्त्र आयुक्त बम्बई। — सदस्य – सचिव

2. कृत्रिक बल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित प्रकार होंगे :–

(1) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघों को ऋण उपलब्ध कराने संबंधी योजनाओं की महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करना विभिन्न वित्तीय अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही निधियों के मौजूदा स्तरों के संबंध में रिपोर्ट देना, विकेन्द्रीकरण विद्युतकरघा क्षेत्र को ऋण के प्रवाह के विद्यमान स्तर का मूल्यांकन करना,

(2) कपड़े के विभिन्न किस्म का उत्पादन करने वाले विद्युतकरघों के लिए कार्यशील पूंजी की जरुरतों का मूल्यांकन करना,

(3) करघों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण को जरूरतों का मूल्यांकन करना,

(4) ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में तथा अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय सहायता को मंजूर करने हेतु फार्मेट तथा ब्यौरों और सहकारी समितियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के संबंध में विशिष्ट सिफारिशे करना, और

(5) ऐसा कोई अन्य संबंधित मामले जिन्हें कृत्रिक बल विद्युतकरघों के विकास के लिए संगत पाए।

3. कृत्रिक बल अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकता है तथा विद्युतकरघा विकास से संबंधित अन्य अभिकरणों से सहायता भी ले सकता है। यह अपनी रिपोर्ट सरकार को इसके गठन की तारीख से चार महीने के भीतर प्रस्तुत कर देगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों की संसूचित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. के. अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 4th May, 1987

RESOLUTION

SUBJECT : Constitution of Task Force to make specific recommendations regarding measures necessary to augment the flow of credit both for modernisation and working capital in the decentralised powerloom sector.

No. 1(6)/87-CP :—The Textile Policy states that the organisation of production in the decentralised powerlooms should be guided by the objectives of raising productivity, increasing efficiency and improving workers' welfare. It has been considered that flow of adequate credit is necessary in order to bring about healthy development of this sector. While there are many schemes for disbursement of credit to powerlooms in the decentralised sector, it is considered necessary to assess the role of various agencies to ensure that more credit is available both for working capital and also for modernisation and technological upgradation of powerlooms. In view of this, Government have decided to constitute a Task Force with the following members:—

1. Shri Arun Kumar, Textile Commissioner, Bombay. — Chairman

2. Shri K.L. Kapoor, General Manager, IDBI, Bombay. — Member

3. Shri R. Sunderavardhan, Chief General Manager, NABARD, Bombay. — Member

4. Secretary (Co-operation), Government of Maharashtra, Bombay. — Member

5. Shri V.R.S. Cowlagi, Industries Commissioner, Government of Gujarat, Gandhinagar. — Member

6. Managing Director, State Financial Corporation of Tamil Nadu, Madras. — Member

7. Shri Dhanpal Tare, President, All India Powerloom Federation, Inchalkaranji. — Member

8. Shri A.I.S. Rao, Joint Textile Commissioner, Bombay. — Member-Secretary

2. The terms of reference of the Task Force will be as follows:

(1) to study the important features of schemes for making available credit to decentralised

powerlooms, to report on the present levels of funding by various financial agencies, to assess the existing level of flow of credit to the decentralised powerloom sector;

(2) to assess the requirements of working capital for powerlooms producing various types of cloth;

(3) to assess requirements of credit for modernisation of looms;

(4) to make specific recommendations regarding measures to be taken to augment the flow credit, inter alia, regarding the format and details of schemes for sanction of financial assistance, and the role of co-operatives, banks and other financial institutions; and

(5) any other connected issues which the Task Force may find relevant for development of powerlooms.

3. The Task Force may co-opt additional members and also take assistance from other agencies connected with the powerloom development. It will submit its report to the Government within four months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

S.K. AGNIHOTRI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987